न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 110/2017 एल.आर. एक्ट

1 जग्गूराम पुत्र जीवणराम जाति सांसी निवासी जन्डावाली तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्

बनाम

1 रोशन पुत्र नन्दु जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ। (फौत)
- 1/1 रेशो पत्नी रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/2 दीपक पुत्र रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/3 अंकुर पुत्र रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/4 सीमा पुत्री रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/5 रिकू पुत्र रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/6 ज्योति पुत्री रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
- 1/7 अंकुश पुत्र रोशन जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।

2 रोशो पत्नी नन्दू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
3 कृष्णा जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
4 रोशनी जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
5 माया पुत्रीयान नन्दू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
6 जोरिया जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
7 दीपू पिसरान बखूराम जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
8 भागो पत्नी बखूराम जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
9 चान्दो जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
10 मन्दरो जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
11 राजो पुत्रीयान बीरबल जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
12 परसदीया पुत्री नत्थूराम जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
13 पठानी पुत्री नत्थूराम जाति जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
14 सोनू पुत्र लालू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

15 मीरो पत्नी लालू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
16 रबी पुत्री लालू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
17 मंगू पुत्री जीवण जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
18 सीतो पुत्री जीवण जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
19 मीरा पुत्री जीवण जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
20 तहसीलदार हनुमानगढ।
21 बिरखो पत्नी कतु उर्फ नत्थू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
22 जीवी पत्नी स्व. बीबा उर्फ बीरबल जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
23 शांति पुत्री नन्दू जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
24 रामप्रसाद पुत्र जाति सांसी साकिन जण्डावाली तहसील हनुमानगढ।
25 सुनीता बीनादेवी पुत्री पिसरान कतु उर्फ नत्थू अकवाम सांसी हमीरपुर तहसील व जिला हमीर पुर हिमाचल प्रदेश।
26 बीनादेवी पुत्री पिसरान कतु उर्फ नत्थू अकवाम सांसी हमीरपुर तहसील व जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री करण सिह तंवर– अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरिराम विश्नोई – रेस्पोडेंट नं. 1/1 ता 1/7, 5,8,10,11,15,16,2122,24,25,26
3. राधाकिशन स्वामी– 17,18,19
4. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30–12–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 05–01–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता जीवनराम को जीवो के अधार पर 18 बीधा भूमि आवंटित हुई थी। डी.आर.ओ. गंगानगर द्वारा दिनाक 31.03.90 को सबधित वी.आर.का अवलोकन करने का आदेश पारित किया। वी.आर. नम्बर 14 बी.प्रा.रा. 22 के क्रमांक सं. 74 के अनुसार जीवन पुत्र नानक जाति सांसी को जीवो के आधार पर 18 बीधा भूमि आंवटित हुई, आवंटन जीवनराम स्वय, रामी औरत, जग्गू लड़का दर्ज है। जीवनराम की पत्नी सुन्दरीया थी, उसके चार लड़के थे। जीवनराम फौत हो चुका है। पहली औरत के चारो लड़को ने अपने पिता

की भूमि में हिस्सा चाहा है। जीवनराम की दूसरी पत्नी रामी थी, रामी भी फौत हो चुकी है। रामी के चार बच्चे जग्गू, मंगू, सीतो, मीरा है। डी. आर.ओ. के आदेश दिनाक 31.03.90 के पश्चात तहसीलदार गंगानगर ने दिनांक 12.12.1995 को जीवनराम के वारिसान के आधार पर इन्तकाल चढा दिया। अपीलान्ट उक्त आदेश के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 05.01.2016 को मियाद बाहर मानकर अपील खारिज कर दी गई। जिसकी अपील इस न्यायालय पेश की गई है।

3. उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 17,18,19 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट के पिता जीवनराम को जीवो के अधार पर 18 बीधा भूमि आवंटित हुई थी। डी.आर.ओ. गंगानगर द्वारा दिनाक 31.03.90 को सबधित वी.आर.का अवलोकन करने का आदेश पारित किया। वी.आर. नम्बर 14 बी.प्रा.रा. 22 के क्रमांक सं. 74 के अनुसार जीवन पुत्र नानक जाति सांसी को जीवो के आधार पर 18 बीधा भूमि आंवटित हुई, आवंटन जीवनराम स्वय, रामी औरत, जग्गू लड़का दर्ज है। जीवनराम की पत्नी सुन्दरीया थी, उसके चार लड़के थे। जीवनराम फौत हो चुका है। पहली औरत के चारो लड़को ने अपने पिता की भूमि में हिस्सा चाहा है। जीवनराम की दूसरी पत्नी रामी थी, रामी भी फौत हो चुकी है। रामी के चार बच्चे जग्गू, मंगू, सीतो, मीरा है। डी.आर.ओ. के आदेश दिनाक 31.03.90 के पश्चात तहसीलदार गंगानगर ने दिनांक 12.12.1995 को जीवनराम के वारिसान के आधार पर इन्तकाल चढा दिया। जग्गू पुत्र जीवनराम का हिस्सा स्वय का माता व पिता से प्राप्त 3/24 हिस्सा कुल 11 बीधा है। डी.आर.ओ. द्वारा दिनांक 31.3.90 को जीवनराम के वारिस घोषित करके तहसीलदार को अमल दरामद करने के लिए निर्णय की प्रति प्रेषित कर दी। मगर तहसीलदार ने जीवनराम के वारिसो के नाम से इन्तकाल चढाने का आदेश दिया। उक्त आदेश Without Jurisdiction है, तहसीलदार द्वारा

इन्तकाल चढाने का आदेश पारित करना क्षेत्राधिकार से बाहर है। Without Jurisdiction आदेश शूरू से ही ab-initio-void है, डी.आर. ओ. के आदेश की पालना के लिए अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नही थी। आदेश दिनांक 12.12. 1995 अपीलान्ट की गैर हाजिरी मे पारित किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सबूत व सुनवाई का अवसर नही दिया गया। आदेश दिनांक 31.3.90 नन्दू बनाम डीआर ओ पत्रावली में पारित किया गया है। नन्दु पुत्र जीवण द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ कभी कोई अपील या निगरानी पेश नही की गई। आदेश दिनांक 31.3.90 कन्फर्म हो चुका है। ऐसे में नन्दु द्वारा ही इन्तकाल चढवाने की कार्यवाही नही की जा सकती। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दोनो अधिनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2008 पृष्ठ 804, RRD 1991 पृष्ठ 492, RBJ (7) 2000 पृष्ठ 328, RRD 1992 पृष्ठ 337, RRD 1992 पृष्ठ 116, RRD 1992 पृष्ठ 17, RRD 1992 पृष्ठ 173, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेंट नं. 1/1 ता 1/7, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि जीवणराम पुत्र नानक सांसी को 18 बीधा जमीन सन 1954 मे आंवटित हुई। राष्टपति भारत सरकार से आवंटन हुई। सर्वे सेटलमेन्ट अनुसार जीवनराम के अकेले के नाम उक्त भूमि रही है। जीवणराम के दो पत्नीया रामी एवं सुन्दरी थी। दोनो के चार – चार सन्ताने थी। जीवणराम की सन 1984 मे मृत्यु हो गई जीवणराम के वारिस धोषित करने की दरख्वास्त पेश हुई जिसमे वारिस घोषणा के साथ भूमि का बटवारा भी कर दिया, जिसमे सभी पक्षकार भी नही थे। उक्त आदेश की कोई पालना नही हुई। सन 1995 मे वारिसान इन्तकाल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार हनुमानगढ मे पेश होने पर तहसीलदार हनुमानगढ ने सभी 8 वारिसो के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया। उक्त विरास्तन इन्तकाल के विरूद्व अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ मे 15 वर्ष बाद अपील पेश की जो मियाद बाहर व उक्त आदेश की नकल लेने के बाद भी इल्म से चार माह बाद अपील पेश की । अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने अपीलान्ट की अपील मियाद बिन्दु पर खारिज कर दी जो सही है। आदेश 1990 का है जो सभी पक्षकारो की जानकारी मे नही थे। जब अन्य पक्षकारो को उसकी जानकारी हुई तब राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे उक्त आदेश के विरूद्व अपील दायर कर दी। उक्त अपील सं. 27/14 से दर्ज होकर आज भी जैरकार है तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का उसमे स्थगन आदेश भी है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा विरास्तन ईन्तकाल दर्ज किया गया है वो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में HIGH COURT 2010 (2) RRT 801, RRD 1984 पृष्ठ 261, RRD 1991 पृष्ठ 164, Rajasthan HIGH COURT 2012 (1) RRT 569, HIGH COURT 2011 (1) RRT 614, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस कर कहा कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2016 सही है अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावलियों एव न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :–

   i. अपीलांट का मुख्य कथन है कि उसके पिता जीवनराम को जीवो के आधार पर 18 बीधा भूमि आवटित हुई। डी.आर.ओ. गंगानगर द्वारा दिनाक 31.03.90 को सबधित वी.आर.का अवलोकन कर आदेश पारित किया। वी.आर. नम्बर 14 बी.प्रा.रा. 22 के क्रमांक सं. 74 के अनुसार जीवन पुत्र नानक जाति सांसी को जीवो के आधार पर 18 बीधा भूमि आंवटित हुई, आवंटन जीवनराम स्वय, रामी औरत, जग्गू लड़का दर्ज है।

   ii. रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन है जीवनराम को अकेले आवटित हुई। सर्वे सेटलमेन्ट अनुसार जीवनराम के अकेले के नाम उक्त भूमि रही है।

   iii. जिला पुनर्वास अधिकारी गंगानगर के निर्णय 31.03.1990 के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे अपील पेश होने पर उनके द्वारा आराजी को उभय पक्ष रहन बैय व अतरित नही

करने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। तथा उक्त पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे आज भी जैरकार है।

iv. इस प्रकार अपीलान्ट जीवो के आधार पर अपना हक जता रहा है तो रेस्पोडेन्ट जीवनराम के अकेले के नाम होने का कथन कर हक जता रहा है । इन्तकाल की कार्यवाही केवल वित्तीय उद्देश्यो के लिये की जाती है। उक्त आंवटन जीवो के आधार पर हुआ है या नही यह उक्त अपील मे तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे गुणावगुण पर कोई विवेचना नही की है, केवल मियाद बिन्दु पर ही अपील को खारिज किया गया है। अतः पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण की विस्तृत जांच करे की उक्त आंवटन जीवो के आधार पर हुआ है या अकेले जीवनराम के नाम हुआ है ? एवम दोनो पक्षो को सुनकर तथा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के स्थगन आदेश का अवलोकन कर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तब तक उभय पक्ष इस विवादित भूमि को आगे रहन बैय अथवा हस्तान्तरण नही करेगे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.06 17:58:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: